

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन अनुभाग-03

देहरादून: दिनांक: १५ मई, 2020

विषय: जनपद देहरादून में नेपाली फार्म से मोहकमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के किनारे 8" ब्यास की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 1.111 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गेल इण्डिया लिंगो को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1667/FP/UK/Pipeline/39457/2019, दिनांक 08 जनवरी, 2020 व पत्र संख्या-2072/FP/UK/Pipeline/39457/2019, दिनांक 13 फरवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून में नेपाली फार्म से मोहकमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के किनारे 8" ब्यास की प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 1.111 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गेल इण्डिया लिंगो को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11- ०९/९८-एफ० सी० दिनांक 16.10.2000, ०८.०४.२००९, शासनादेश संख्या एफ०न०-५-३/२००७-एफ० सी०, दिनांक 05.02.2009, एफ०न०-११-५६८/२०१४-एफ०सी०, दिनांक 02.02.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 500 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी।
6. प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाना कार्य के लिए संबंधित लो०नि०वि०, डिविजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति में पत्र/आदेश में उल्लिखित शर्तों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने उससंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: ३१७ (१) / X-३-२०/२(०४)/२०२० तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद— देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
6. GAIL INDIA LIMITED, 8th Floor, GAIL Jubilee Tower, B-35 and 36 Sector-1, NOIDA, U.P.
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा स

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।